Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Revision No.- 266/2022
Mahanand Yadav.....Petitioner.
Versus
The State of Bihar.....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	02.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–120/2007 में दिनांक–24.12.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–3362/2020 में दिनांक–11.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अंतर्गत लादुगढ़ पंचायत, बनमनखी में अनुज्ञप्ति सं0–17/90 के वैध धारक रहकर वर्ष 2006 तक अपने दुकान का संचालन बड़ी निष्ठा एवं इमानदारी से करते रहे। वर्ष 2007 में ग्रामीण मुखिया द्वारा कुछ ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में इनके खिलाफ़ शिकायत किया गया कि ये खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करते हैं तथा उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं। उक्त शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा मामले की जाँच न कराकर उपभोक्ताओं का बयान लिया गया। बयान के अनुसार इनके द्वारा दुकान समय पर नहीं खोला जाना, खाद्यान्न वितरण के संबंध में स्टॉक की जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाना तथा साथ ही उपभोक्ताओं द्वारा इनपर अनाज का कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया। उक्त आरोप के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा ज्ञापांक 398, दिनांक–14.02.2007 के माध्यम से इनके अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई। कारण पृच्छा से	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 02.03.2023	असंतुष्ट होकर इन्हें फिर से दिनांक–23.07.2007 को नोटिस किया क्रमशः गया तथा अंत्योदय योजना का बिक्री पंजी जमा करने का निदेश दिया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अंततः आवेदक के अनुज्ञप्ति सं0–17/90 को ज्ञापांक–235 दिनांक–23.11.2007 द्वारा रद्द कर दिया गया। इससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा विद्वान समाहर्त्ता, पूर्णिया के न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद सं0–120/2007 दायर किया गया। विद्वान समाहर्त्ता द्वारा दिनांक–24.12.2010 को अपील खारिज कर दिया गया। उक्त कारणों से दुखी होकर आवेदक द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा समर्पित कागजात पर पूर्ण रूपेण विचार नहीं किया गया तथा क्षेत्राधिकार से परे जाकर एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया जो अवैध है। इसके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा वर्ष 1990 से जून 2006 तक इनको वितरण के लिए सिर्फ किरासन तेल मुहैया कराया जाता रहा। जुलाई/अगस्त 2006 में आवेदक के जन वितरण की दुकान के साथ रामनगर पंचायत के श्री बिन्देश्वरी यादव की जन वितरण की दुकान के साथ संबंद्ध कर दिया गया। इनको जुलाई 2006 से जनवरी 2007 तक अंत्योदय योजना के वितरण हेतु खाद्यान्न मुहैया नहीं कराया गया। इनका कथन है कि रामनगर फरसाही पंचायत एवं लादुगढ़ पंचायत के मुखिया के समक्ष हीं इन्हें मुहैया किये गये खाद्यान्न का वितरण उपभोक्ताओं के बीच सुचारू रूप से किया गया। आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है क्योंकि इससे पहले किसी भी उपभोक्ता द्वारा इनपर कोई आरोप नहीं लगाया गया। वे किसी प्रकार खाद्यान्न के कालाबजारी में संलिप्त नहीं रहे है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए खारिज करने तथा पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।	

Web Copy. Not Official.

	02.03.2023	उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी के दुकान के जाँचोपरांत क्रमशः इनका दुकान बंद पाया गया था। समानों का वितरण समय पर नहीं करते थे। अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की धारा 25 का अनुपालन करते हुए आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हुए आवेदक के पुनरीक्षण/अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.